न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री सकाराम पुत्र मानाजी, जाति- भील, निवासी- हनुमान कॉलोनी, भाटकड़ा, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 14/2020

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 25 सितम्बर, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 90/2019 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2019 बाबत ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3113 व 3114 कुल रकबा 0.02 हेक्टेयर किस्म क्रमशः ब-1 व गै.मु.रास्ता भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिचारी घोषित करते हुए जुर्माना आरोपित करने एवं मौके से बेदखल करने आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। यह कि अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति का गरीब परिवार का सदस्य है जो सिरोही नगर परिषद् सीमा क्षेत्र में अपने परिवार सहित निवास कर मजदूरी कर जीविकोपार्जन करता है। अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर अपने जीवन की गाढी कमाई लगाकर अपने रहवास हेतु मकान, शौचालय व बाथरुम आदि का निर्माण करवाया है व विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। अपीलार्थी गत 30 वर्षो से विवादित भूमि पर आवास करता आ रहा है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पुराना कब्जा व आवास है। विवादित भूमि के अलावा अपीलार्थी के आवास हेतु कोई मकान/भूमि उपलब्ध नही है। विवादित भूमि नगर परिषद्, सिरोही की सीमा क्षेत्र में स्थित है जिस पर अपीलार्थी के अलावा कई गरीब तबके के परिवार निवास कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी कर यह निर्देश दिये गये है कि जो भूमि नियमन की पात्रता रखते है उस भूमि का

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested

नियमन किया जावे। राज्य सरकार की मंशा है कि गरीब तबके के लोगों को आवास हेतु भूमि का नियमन किया जाना चाहिये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया है एवं न ही हल्का पटवारी के बयान कलमबद्ध किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम सुनवाई तिथि पर ही अपीलार्थी के पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट नंबर 233/2020 में पारित आदेश दिनांक 09.9.2020 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने राज्य सरकार को निर्देश दिये है कि अतिक्रमण के नाम पर भूमिहीन लोगों को बेदखल नही किया जावे एवं सरकार भूमिहीन लोगों के बसने के लिये जमीन और मकान की व्यवस्था करे। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिरोही द्वितीय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2076 में उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, सिरोही-II द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3113 व 3114 कुल रकबा 0.0165 हेक्टेयर किस्म क्रमशः ब-1 व गै.मु.रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने व मकान निर्माण करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने बचाव में जवाब व साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

25/09/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:09:12 IST
Reason: SelfAttested